संक्षेप मे प्रकरण इस प्रकार है कि श्री जीतु पिता परमानन्द द्वारा एक अपील राजस्थान राज्य एवं ग्राम पंचायत आंवलहेडा पंचायत समिति चित्तौड़गढ़ के विरूद्ध पेश की गई। जिसमे मौजा आंवलहेडा के वर्तमान आराजी नम्बर 1988 मे से रकबा 0.7 बीघा है0 जरिये मिसल नम्बर 234/1986 से दिनांक 31/05/1986 को आंवटित की थी जिसमे अपीलान्ट गैर खातेदार के रूप मे दर्ज है। जिला कलेक्टर चित्तौडगढ़ द्वारा अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना दिनांक 02/05/13 को नियम 14(4) का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए आंवटी का आंवटन खारीज कर दिया। जिसे अपास्त कराने के लिये यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति पेश नही कर सके जिसके बदले उनके द्वारा प्रतिलिपी प्राप्त करने के सम्बन्ध मे प्रस्तुत प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रति पेश की गई जिसकी प्रति के पृष्ठ भाग पर यह उल्लेखित है कि अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली जाया कर दी गई है जिसके कारण आदेश की प्रमाणित प्रति दिया जाना संभव नही है। कालान्तर मे प्रश्नगत भूमि चारागाह मे परिवर्तित हो चुकी है।

बहस एक तरफा सुनी गई एवं अधिवक्ता से यह अपेक्षा की गई कि वे अन्य कोई ऐसा दस्तावेज पेश करे जिससे उक्त निर्णय या उसके सम्बन्ध मे अन्य जानकारी उपलब्ध हो सके। परन्तु वकील अपीलार्थी ऐसा कोई दस्तावेज पेश नही कर सके। साथ ही यह भी उल्लेखनीय है कि जब अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली ही जाया हो चुकी है ऐसी परिस्थति मे इस न्यायालय द्वारा निर्णय किस प्रकार पारित करना संभव हो सकेगा। प्रश्तगत भूमि चारागाह भूमि के रूप मे दर्ज हो चुकी है जिसमे किसी प्रकार की खातेदारी अधिकार देना धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रतिकूल है। ऐसी सूरत मे अपील अपीलार्थी किसी भी सूरत मे एडमिट होने योग्य नही है। फलतः अपील अपीलान्ट इसी स्टेज पर खारीज की जाती है। निर्णय सरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(इन्द्र सिंह राव)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
चित्तौड़गढ़